रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 141] नई दिल्ली, शनिवार, जून 17, 1972/ज्येष्ठ 27, 1894

No. 141] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 17, 1972/JYAISTHA 27, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th June 1972

No. F.3(18)-NS/70/(1).—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposit) Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) (Fifth Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the 1st July, 1972.

2. In the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959,—

(a) in sub-rule (1) of rule 10, in the opening paragraph, after the words "the survivor may", the words, figures and letter "subject to the provisions of rule 10A" shall be inserted;

"10A. *Payment of full maturity value on the death of depositor in certain cases,*—

(i) On the death on or after the 1st July, 1972 of a depositor in a single 5 year account or of the surviving depositor in a joint 5 year account of the denomination of Rs. 5 or Rs. 10, not being a discontinued account, the legal heir or nominee, as the case may be, of such depositor, shall be entitled to the full maturity value of the account, including bonus, less value of defaults, if any, with interest due and the amount of withdrawals outstanding, if any, with interest thereon, provided the following conditions are satisfied, namely:—

(a) Twenty-four months have elapsed from the date of the opening of the account, and during the said period, monthly instalments have been paid into the account without any default and there has been no withdrawal from the account during the said period.

NOTE: A defaulted instalment paid with interest before the death of the depositor or surviving depositor, as the case may be, shall not be treated as a default.

(b) The age of the depositor or depositors, as the case may be, at the time of opening the account was not less than 18 years and not more than 53 years.

NOTE: Every depositor in one account opened before the 1st July, 1972 shall give a declaration to the Post Office on plain paper indicating the age at the time of the opening of the account and every depositor in one account opened on or after the said date shall make such a declaration on the application for opening the account.

(c) The legal heir or nominee, as the case may be, of the deceased depositor has not made any claim, or has not already been given the benefit in respect of any other account under this rule or in respect of a Recurring Deposit account under rule 11A of the Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970, held by the same deceased depositor.

(ii) If a depositor or the surviving depositor, as the case may be, has more than one 5 year account of the denomination of Rs. 5 or Rs. 10, the benefit of payment under this rule shall be available in respect of only one account which may be specified by the depositor or surviving depositor, as the case may be. Such depositor may change the option and specify another account if he so desires by an application to the Post Office where the account stands registered. If no such account has been so specified by such depositor, the benefit of payment shall be admissible in respect of the earliest account of the denomination of Rs. 10, if any, which qualifies for payment and if there is no such account of the denomination of Rs. 10, then in respect of the earliest account of the denomination of Rs. 5 which qualifies for payment.

(iii) The legal heir or nominee, as the case may be shall, on the death of the depositor or the surviving depositor, as the case may be, apply in triplicate in Form PSP-I annexed to these rules, to the Post Office where the account stands registered, not later than one year from the death of such depositor. A death certificate, or a certified copy thereof shall be attached with the claim. The claim shall be sanctioned by the Head Postmaster after verification from the Office of the National Savings Commissioner, Nagpur, that the benefit of the payment of full maturity value on death has not been previously availed of by the legal heir or nominee of the deceased depositor in respect of any other account including a Recurring Deposit account opened under the Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970.";

(c) after Table III, the following Form shall be added, namely:—

"*To be filled in triplicate.*

FORM PSP-1.

To

The Postmaster,

Subject:—Claim under the scheme of Protected Savings.

Sir,

In connection with the settlement of claim of 5-year CTD/P.O. Recurring Deposit account.

No.....Standing in the name of.....in the books of.....Post Office, I/We.....
a.....(State full relationship) of the deceased, who died on.....at.....(place of death), hereby claim the full maturity value of the account under the scheme of Protected Savings.

In support of the claim, I hereby submit:

(i) A death Certificate issued by.....

*(ii) A succession Certificate granted by.....under No.....dated.....

*(iii) Probate of will granted by.....
under No.....dated.....

*(iv) Letters of Administration of the Estate of the deceased granted by.....under No.
dated.....

**(v) I/We/am/are nominees of the deceased as per nomination registered in your records

I/We certify that I/We have not made any claim in respect of any other CTD or Recurring Deposit account standing in the name of the above deceased under the Protected Savings Scheme nor shall I/We do so in future.

(*Cross out whichever is not applicable).

(**In case of nominees, items (ii), (iii) & (iv) are not necessary).

Particulars of deceased account holder

(i) Full Name.....

(ii) Son/Daughter/Wife of.....

(iii) Last address.....

Particulars of near relatives.

S. No.	Name	Age	Relationship	Address
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

To my/our knowledge, the deceased had the following other CTD/Recurring Deposit Accounts on which I/We shall not claim the benefit under the Protected Savings Scheme and shall claim only the proportionate amounts payable under the C.T.D. /R.D. Rules.

S. No.	Account No.	Type of account CTD/RD	P.O at which account stands	Date of opening account	Denomination	Name of nominee if any
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						

Yours faithfully,
Signature(s) of claimant(s)

Address:—(i)
.....
(ii)
.....

Certificate by two witnesses

We hereby certify that the person who has applied for and put his signature to the application for the payment is the real claimant and the same person in whose favour the succession certificate/probate of will/Letters of administration has been granted by the court.

1. Signature and Address.....
.....
2. Signature and Address.....
.....

To be filled in by the Postmaster

Certified that the particulars stated above have been checked with the Postal records and I am satisfied that the claimant(s) is/are nominee(s)/heir(s) of the deceased.

Also certified that the age of the account holder at the time of opening the account, as given in Application Form/Declaration given by the account holder, was..... years.

Forwarded in duplicate to the Central Registration Office, Office of the National Savings Commissioner, Post Box No. 96, Nagpur, for verification if any claim under the Protected Savings Scheme has already been registered in the name of the above deceased.

Seal of Post Office. Signature of the Postmaster.

To be filled in by the Central Registration Office

***Certified that no claim has been previously registered in this office in respect of Shri (deceased) account holder of CTD/ Recurring Deposit Accounts mentioned above, who died on at The claim may, thus, be admitted if otherwise found in order.**

Registration No.

*Certified that a claim has already been registered in respect of a C.T.D./ Recurring Deposit account standing in the name of Shri.....deceased. The particulars are as under:—
CTD/RD Account No. of denomination Rs.....
opened at P. O. on
Name of the claimant(s)
.....(Nominee(s)/heir(s)
Registration No. dated
*Delete which-ever is not applicable.
Seal of Central Registration Office.

To

Postmaster

Signature of Officer
Incharge of Central
Registration Office."

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नयी दिल्ली, 17 जून, 1972

संख्या एफ० 3(18)-एन०एस०/70(i).—राष्ट्रपति एतद्द्वारा, डाकघर बचत बैंक बढ़ने वाली सावधिक जमा नियमावली 1959 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों को डाकघर बचत बैंक (बढ़ने वाली सावधिक जमा) (पांचवां संशोधन) नियमावली 1972 कहा जा सकेगा ।

(ii) ये नियम पहली जुलाई 1972 से लागू होंगे ।

2. डाकघर बचत बैंक (बढ़ने वाली सावधिक जमा) नियमावली 1959 में—

(क) नियम 10 के उपनियम (1) में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में "उत्तरजीवी" शब्दों के बाद "नियम 11क के उपबन्धों के अधीन" शब्द, अंक और वर्ग रखे जाएंगे।

(ख) नियम 10 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"10-क-कतिपय मामलों में जमाकर्ता की मृत्यु के बाद पूर्ण परिपक्वता मूल्य की अदायगी —

(i) पांच रुपये और दस रुपये के मूल्य वर्ग के पांचवर्षीय एकल खाते के मामले में जो कभी बंद न हुआ हो जमा कर्ता की, अथवा ऐसे ही पांचवर्ष के संयुक्त खाते के मामले में उत्तरजीवी जमाकर्ता की पहली जुलाई, 1972 को या उसके बाद, मत्यु हो जाने पर इस प्रकार के जमा कर्ता के, यथास्थिति विधिक वारिस अथवा नामित व्यक्ति को, खाते के पूर्ण परिपक्वता मूल्य को प्राप्त करने का हक होगा, जिस में से अदायगी में हुई चूकों की रकमें, यदि कुछ हों, उन पर देय ब्याज समेत, तथा निकाली गयी रकमें, यदि कुछ हों, उन पर देय ब्याज समेत, घटा दी जायंगी, बशर्ते कि निम्नलिखित शत पूरी की गयी हों :—

(क) खाता खोले जाने की तारीख से चौबीस महीने की अवधि गुजर गयी हो और उपर्युक्त अवधि के दौरान मासिक किस्तें खाते में बिना किसी चूक के अदा की जाती रही हों और उपर्युक्त अवधि के दौरान खाते से कोई रकम न निकाली गयी हो ।

नोट :—अयदि न चुकायी गयी किस्त की अदायगी यथास्थिति जमाकर्ता अथवा उत्तरजीवी जमाकर्ता की मृत्यु से पहले ब्याज सहित कर दी गयी हो, तो उसे चुक नहीं माना जयगा ।

(ख) यथास्थिति जमाकर्ता अथवा जमा कर्ताओं की आयु खाता खोले जाने के समय 18 वर्ष से कम न हो और 53 वर्ष से ज्यादा न हो।

नोट :—पहली जुलाई 1972 से पहले खोले गये एक खाते के मामले में प्रत्येक जमाकर्ता सादे कागज पर डाकघर को लिखित घोषणा पत्र देगा, जिसमें वह यह बतायेगा कि खाता खोले जाने के समय उसकी आयु क्या थी और उपर्युक्त तारीख को या उसके बाद खोले जाने वाले खाते के मामले में प्रत्येक जमाकर्ता को, खाता खोलने के आवेदन पत्र पर इस प्रकार की घोषणा करनी होगी ।

(ग) मृतक जमाकर्ता के यथास्थिति विधिक वारिस अथवा नामित व्यक्ति ने किसी प्रकार का दावा नहीं किया है अथवा उसे इस नियम के अधीन किसी अन्य खाते के सम्बन्ध में या उसी मृत जमाकर्ता द्वारा धारित, डाकघर (आवर्ती जमा) नियमावली, 1970 के नियम 11क के अन्तर्गत खुले आवर्ती जमा खाते के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया है ।

(ii) यदि यथास्थिति जमाकर्ता अथवा उत्तरजीवी जमाकर्ता ने, 5 रुपये अथवा दसरुपये के मूल्य वर्ग के एक से ज्यादा पंचवर्षीय खाते खोल रखे हों, तो इस नियम के अधीन अदायगी का लाभ केवल एक ही खाते के सम्बन्ध में दिया जा सकेगा, जिस के संबंध में यथास्थिति जमाकर्ता अथवा उत्तरजीवी जमाकर्ता द्वारा स्पष्ट रुप से निर्देश किया जाए। इस प्रकार का जमाकर्ता अपना विकल्प बदल सकेगा और अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे खाते को निर्दिष्ट कर सकेगा । इसके लिए उसे उस डाक घर को जहां खाता खुला होगा एक आवेदन पत्र देकर अपना विकल्प बताना होगा । यदि इस प्रकार के जमाकर्ता द्वारा इस प्रकार का कोई खाता निर्दिष्ट न किया गया हो, तो अदायगी का लाभ दस रुपये के मूल्य वर्ग के उस

सब से पहले खाते के सम्बन्ध में यदि कोई हो, दिया जाएगा जो अदायगी के योग्य हो गया होगा और यदि दस रुपये के मूल्य का ऐसा कोई खाता नहीं होगा, तो 5 रुपये के मूल्यवर्ग के उस सब से पहले खाते के सम्बन्ध में यह लाभ दिया जायगा, जो अदायगी के योग्य होगा ।

(iii) जमाकर्ता अथवा उत्तरजीवी जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने, पर, यथास्थिति, स्थिति , उसका विधिक वारिस या उसके द्वारा नामित व्यक्ति, उस डाकघर को जिस में खाता दर्ज हो इस प्रकार के जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने के बाद एक वर्ष के अन्दर अन्दर इन नियमों से अनुबद्ध फार्म पी० एस० पी०—1 में तीन प्रतियों में आवेदन पत्र देगा । मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि दावे के साथ भेजी जानी चाहिए । इस प्रकार के दावे को मुख्य पोस्टमास्टर द्वारा, राष्ट्रीय बचत आयुक्त नागपुर के कार्यालय से इस आशय का सत्यापन प्राप्त किए जाने के बाद मंजूर कर लिया जायगा कि जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर, डाकघर (आवर्ती जमा) नियमावली 1970 के अन्तर्गत ...खोले गये आवर्ती खाते सहित किसी भी अन्य खाते के सम्बन्ध में पूर्ण परिपक्वता मूल्य का भुगतान लेने का लाभ इससे पहले मृतक जमाकर्ता के विधिक वारिस या नामित व्यक्ति ने प्राप्त नहीं किया है ।

(ग) सारणी III के बाद निम्नलिखित फार्म जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

तीन प्रतियों में भरने के लिए

फार्म पी० एस० पी० —1

सेवा में,

पोस्ट मास्टर,

.....

.....

विषय :—संक्षिप्त बचत योजना के अन्तर्गत दावा ।

महोदय,

..... डाकघर की पुस्तकों में

के नाम मौजूद 5 वर्षीय बढ़ने वाले सावधि जमा/डाकघर आवर्ती जमा खाता संख्या

..... के दावे के निपटारे के संबंध में, मैं / हम एतद्द्वारा मृतक का / के(पूरा संबंध बताएं), जिसकी मृत्यु दिनांक को में (स्थान का नाम जहां

मृत्यु हुई थी) हो गई थी, संरक्षित बचत योजना के अन्तर्गत खाते के पूर्ण परिपक्व मूल्य का दावा करता हूं / करते हैं। दावे के समर्थन में, निम्नलिखित प्रस्तुत किए जाते हैं :—

(i) द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण-पत्र

*(ii) संख्या दिनांक के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ।

*(iii) संख्या दिनांक के अन्तर्गत प्रदत्त प्रोबट

*(iv) संख्या दिनांक के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त मृतक की संपदा से संबंधित प्रशासन-पत्र ।

**(v) आपके अभिलेख में दर्ज नामांकन के अनुसार मैं / हम मृतक का / के नामित व्यक्ति हूं / हैं।

मैं / हम प्रमाणित करता हूं। करते हैं कि मैंने /हमने संरक्षित बचत योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त मृतक के नाम मौजूद किसी अन्य बढ़ने वाले सावधि जमा अथवा आवर्ती जमा खाते के बारे में कोई दावा नहीं किया है और न मैं/ हम भविष्य में ऐसा करूंगा / करेंगे।

(* जो लागू न होता हो उसे काट दीजिए)।

(**नामित व्यक्तियों के मामले में मद (II), (III) और (Iv) आवश्यक नहीं है।

मृतक खाताधारी का ब्यौरा

(i) पूरा नाम

(ii) पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री....श्री.....

(iii) अन्तिम पता

.....

निकट संबंधियों का ब्यौरा

क्रम संख्या	नाम	आयु	संबंध	पता
1				
2				
3				
4				
5				
6				

मेरी /हमारी जानकारी के अनुसार मृतक के निम्नलिखित अन्य बढ़ने वाले सावधि जमा/आवर्ती जमा खाते थे जिन पर मैं /हम संरक्षित बचत योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने का दावा नहीं करूंगा / ।करेंगे और केवल बढ़ने वाले सावधि जमा/आवर्ती जमा खातों के नियमों के अन्तर्गत देय आनुपातिक रकमों का ही दावा करूंगा / करेंगे ।

क्रम सं०	खाता सं०	बढ़ने वाले सावधि जमा/आवर्ती जमा खाते की किस्म	डाकघर का नाम जहां खाता है	खाते खोलने की तारीख	मूल्य वर्ग	नामित व्यक्ति का नाम यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

भवदीय,

दावेदार/दावेदारों के हस्ताक्षर

पता :—(i).....

.....

(ii)

.....

दो साक्षियों द्वारा प्रमाण-पत्र

हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है और भुगतान के लिए आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं वह भुगतान का वास्तविक दावेदार है और यह वही व्यक्ति है जिसके पक्ष में न्यायालय ने उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र / बिल का प्रोबेट / प्रशासन-पत्र प्रदान किया है ।

1. हस्ताक्षर और पता.....

.....

.....

2. हस्ताक्षर और पता.....

.....

.....

पोस्ट मास्टर द्वारा भरा जाए

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणों की जांच, डाक अभिलेखों से मिला कर, कर ली गई है और मैं सन्तुष्ट हूं कि दावेदार मृतक का /के नामित व्यक्ति वापिस है / हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि खाता खोलने के समय खाताधारी की आयु, जैसा कि उसके आवेदन पत्र / घोषणा पत्र में दी गयी है वर्ष की थी।

केन्द्रीय पंजीकरण कार्यालय, राष्ट्रीय बचत आयुक्त का कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं० 96, नागपुर को दो प्रतियां यह जांच करने के लिए भेजी जा रही हैं कि मृतक के नाम से संरक्षित बचत योजना के अन्तर्गत पहले से तो कोई दावा पंजीकृत नहीं किया गया है ।

डाकघर की मोहर

पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर

केन्द्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा भरा जाए

*प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त बढ़ने वाले सावधि जमा में आवर्ती जमा खाते के धारक श्री (मृतक) के सम्बन्ध में जिनकी मृत्यु दिनांक को में हुई थी इस कार्यालय में पहले से कोई दावा/पंजीकृत नहीं किया गया है । यदि दावा अन्यथा ठीक हो तो उसे ग्रहण कर लिया जाए ।

पंजीकरण संख्या

*प्रमाणित किया जाता है कि श्री (मृतक) के नाम मौजूद बढ़ने वाले सावधि जमा।आवर्ती जमा खाते के सम्बन्ध में पहले से ही एक दावा पंजीकृत किया जा चुका है । विवरण नीचे दिया गया है :—

बढ़ने वाला सावधि जमा/ आवर्ती जमा खाता संख्या
जिसका मूल्य-वर्ग रु० है और.....
..... जो डाक घर में
दिनांक..... को खोला गया था ।

दावेदार /दावेदारों का नाम.....

..... (नामित / वारिस)

पंजीकरण सख्या दिनांक

*जो लागू न होता हो उसे काट दें ।

केन्द्रीय पंजीकरण कार्यालय की मोहर

केन्द्रीय पंजीकरण कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में

पोस्टमास्टर,

No. F. 3(28)-NS/70/(ii).—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office (Recurring Deposits) (Fifth Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the 1st July, 1972.

2. In the Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970,—

(a) in sub-rule (1) of rule 11, in the opening paragraph, after the words "the survivor may", the words, figures and letter "subject to the provisions of rule 11A" shall be inserted;

(b) after rule 11, the following rule shall be inserted, namely:—

"11A. *Payment of full maturity value on the death of depositor in certain cases,*—

(i) On the death on or after the 1st July, 1972 of a depositor in a single account, or of the surviving depositor in a joint account of the denomination of Rs. 5 or Rs. 10, not being a discontinued account, the legal heir or nominee, as the case may be, of such depositor, shall be entitled to the full maturity value of the account, less value of defaults, if any, with interest due and the amount of withdrawals outstanding if any, with interest thereon, provided the following conditions are satisfied, namely:—

(a) Twenty-four months have elapsed from the date of the opening of the account, and during the said period, monthly instalments have been paid into the account without any default and there has been no withdrawal from the account during the said period.

NOTE.—A defaulted instalment paid with interest before the death of the depositor or surviving depositor, as the case may be, shall not be treated as a default.

(b) The age of the depositor or depositors, as the case may be, at the time of opening the account was not less than 18 years and not more than 53 years.

NOTE.—Every depositor in one account opened before the 1st July, 1972 shall give a declaration to the Post Office on plain paper indicating the age at the time of the opening of the account and every depositor in an account opened on or after the said date shall make such a declaration on the application for opening the account.

(c) The legal heir or nominee, as the case may be, of the deceased depositor has not made any claim, or has not already been given the benefit in respect of any other account under this rule or in respect of a Cumulative Time Deposit account under rule 10A of the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959, held by the same deceased depositor.

(ii) If a depositor or the surviving depositor, as the case may be, has more than one account of the denomination of Rs. 5 or Rs. 10, the benefit of payment under this rule shall be available in respect of only one account which may be specified by the depositor or surviving depositor, as the case may be. Such depositor may change the option and specify another account if he so desires by an application to the Post Office where the account stands registered. If no such account has been so specified by such depositor, the benefit of payment shall be admissible in respect of the earliest account of the denomination of Rs. 10, if any, which qualifies for payment and if there is no such account of the denomination of Rs. 10, then in respect of the earliest account of the denomination of Rs. 5 which qualifies for payment.

(iii) The legal heir or nominee, as the case may be shall, on the death of the depositor or the surviving depositor, as the case may be, apply in triplicate in Form PSP-I annexed to these rules, to the Post Office where the account stands registered, not later than one year from the death of such depositor. A death certificate, or a certified copy thereof, shall be attached with the claim. The claim will be sanctioned by the Head Postmaster after verification from the Office of the National Savings Commissioner, Nagpur, that the benefit of the payment of full maturity value on death has not been previously availed of by the legal heir or nominee of the deceased depositor in respect of any other account including a Cumulative Time Deposit account opened under the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959.";

(c) after rule 14, the following Form shall be added, namely:—

"To be *filled in triplicate*

FORM PSP-1

To

The Postmaster,

Subject:—Claim under the scheme of Protected Savings.

Sir,

In connection with the settlement of claim of 5-year CTD/P.O. Recurring Deposit account.

No.....Standing in the name of.....in the books of.....Post Office, I/We.....
a.....(state full relationship) of the deceased, who died on.....at.....(place of death), hereby claim the full maturity value of the account under the scheme of Protected Savings.

In support of the claim, I hereby submit:

(i) A death Certificate issued by.....

*(ii) A succession Certificate granted by.....under No.....dated.....

*(iii) Probate of will granted by.....
under No.....dated.....

*(iv) Letters of Administration of the Estate of the deceased granted by..... under No..... dated....

**(v) I/We/am/are nominees of the deceased as per nomination registered in your records.

I/We certify that I/We have not made any claim in respect of any other CTD or Recurring Deposit account standing in the name of the above deceased under the Protected Savings Scheme nor shall I/We do so in future.

*Cross out whichever is not applicable.

**In case of nominees, items (ii), (iii) & (iv) are not necessary.

Particulars of deceased account holder

(i) Full Name.....

(ii) Son/Daughter/Wife of

(iii) Last address

Particulars of near relatives.

S. No.	Name	Age	Relationship	Address
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

To my/our knowledge, the deceased had the following other CTD/Recurring Deposit Accounts on which I/We shall not claim the benefit under the Protected Savings Scheme and shall claim only the proportionate amounts payable under the C.T.D./R.D. Rules

S. No.	Amount No.	Type of account CTD/RD	P. O. at which account. stands.	Date of opening account	Denomi-nation	Name of nominee if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						

Yours faithfully,
Signature(s) of claimant(s)

Address:—(i)
.....
(ii)
.....

Certificate by two witnesses

We hereby certify that the person who has applied for and put his signature to the application for the payment is the real claimant and the same person in whose favour the succession certificate/probate of will/Letters of administration has been granted by the court.

1. Signature and Address.....
.....
2. Signature and Address.....
.....

To be filled in by the Postmaster

Certified that the particulars stated above have been checked with the Postal records and I am satisfied that the claimant(s) is/are nominee(s)/heir(s) of the deceased.

Also certified that the age of the account holder at the time of opening the account, as given in Application Form/Declaration given by the account holder, was..... years.

Forwarded in duplicate to the Central Registration Office, Office of the National Savings Commissioner, Post Box No. 96, Nagpur, for verification if any claim under the Protected Savings Scheme has already been registered in the name of the above deceased.

Seal of Post Office. Signature of the Postmaster.

To be filled in by the Central Registration Office

*Certified that no claim has been previously registered in this office in respect of Shri (deceased) account holder of CTD/ Recurring Deposit Accounts mentioned above, who died on at The claim may, thus, be admitted if otherwise found in order.

Registration No.

*Certified that a claim has already been registered in respect of a C.T.D./ Recurring Deposit account standing in the name of Shri.....deceased. The particulars are as under:—

CTD/RD Account No. of denomination Rs.....
opened at P. O. on
Name of the claimant(s)

.....Nominee(s)/heir(s)

Registration No. dated
Seal of Central Registration Office.

To

Postmaster

Signature of Officer
Incharge of Central
Registration Office."

B. MAITHREYAN, Jt. Secy.

*Delete whichever is not applicable.

संख्या एफ० 3 (18)—**एन० एस०** /70 (ii) —राष्ट्रपति एतद्द्वारा, डाकघर (आवर्ती जमा) नियमावली 1970 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को डाकघर (आवर्ती जमा) (पांचवां संशोधन) नियमावली 1972 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम पहली जुलाई, 1972 से लागू होंगे ।

2. डाकघर (आवर्ती जमा) नियमावली 1970 में—

(क) नियम 11 के उपनियम (1) में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में "उत्तरजीवी" शब्दों के बाद "नियम 11क के उपबन्धों के अधीन" शब्द, अंक और वर्ग रखे जाएंगे ।

(ख) नियम 11 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"**11क. —कतिपय मामलों में जमाकर्ता की मृत्यु के बाद पूर्ण परिपक्वता मूल्य की अदायगी** :—

(1) पांच रुपये और दस रुपये के मूल्य वर्ग के एकल खाते के मामले में जो कभी बंद न हुआ हो जमा कर्ता की, अथवा ऐसे ही संयुक्त खाते के मामले में उत्तरजीवी जमाकर्ता की पहली जुलाई, 1972 को या उसके बाद, मृत्यु हो जाने पर इस प्रकार के जमाकर्ता के यथास्थिति विधिक वारिस अथवा नामित व्यक्ति को, खाते के पूर्ण परिपक्वता मूल्य को प्राप्त करने का हक होगा, जिसमें से अदायगी में हुई चूकों की रकमें, यदि कुछ हों, उन पर देय ब्याज समेत, तथा निकाली गयी रकमें, यदि कुछ हों, उन पर देय ब्याज समेत, घटा दी जाएंगी, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हों :—

(क) खाता खोले जाने की तारीख से चौबीस महीने की अवधि गुजर गयी हो और उपर्युक्त अवधि के दौरान मासिक किस्तें खाते में बिना किसी चूक के अदा की जाती रही हों और उपर्युक्त अवधि के दौरान खाते से कोई रकम न निकाली गई हो ।

नोट.—यदि न चुकाई गई किस्त को अदायगी यथास्थिति जमाकर्ता अथवा उत्तरजीवी जमाकर्ता की मृत्यु से पहले ब्याज सहित कर दी गई हो, तो उसे चूक नहीं माना जायगा ।

(ख) यथास्थिति जमाकर्ता अथवा जमा कर्ताओं की आयु खाता खोले जाने के समय 18 वर्ष से कम न हो और 53 वर्ष से ज्यादा न हो ।

नोट : पहली जुलाई, 1972 से पहले खोले गये खाते के मामले में प्रत्येक जमाकर्ता सादे कागज पर डाकघर को लिखित घोषणा पत्र देगा, जिसमें वह यह बताएगा कि खाता खोले जाने के समय उसकी आयु क्या थी और उपर्युक्त तारीख को या उसके बाद खोले जाने वाले खाते के मामले में प्रत्येक जमाकर्ता को, खाता खोलने के आवेदन पत्र पर इस प्रकार की घोषणा करनी होगी ।

(ग) मृतक जमाकर्ता के यथास्थिति विधिक वारिस अथवा नामित व्यक्ति ने किसी प्रकार का दावा नहीं किया है अथवा उसे इस नियम के आधीन किसी अन्य खाते के सम्बन्ध में या डाकघर बचत बैंक (बढ़ने वाली सावधि जमा) नियमावली, 1959 के नियम 10क के अधीन किसी बढ़ने वाले सावधि जमा खाते के संबंध में जो उ ; मृतक जमाकर्ता ने खोल रखा था, किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया है ।

(ii) यदि यथास्थिति जमाकर्ता अथवा उत्तरजीवी जमाकर्ता ने, 5 रुपये अथवा दस रुपये के मूल्य वर्ग के एक से ज्यादा खाते खोल रखे हों, तो इस नियम के अधीन अदायगी का लाभ केवल एक ही खाते के सम्बन्ध में दिया जा सकेगा, जिसके सम्बन्ध में यथास्थिति जमाकर्ता अथवा उत्तरजीवी जमाकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश किया जाए। इस प्रकार का जमाकर्ता अपना विकल्प बदल सकेगा और अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे खाते को निर्दिष्ट कर सकेगा । इसके लिए उसे उस डाकघर को जहां खाता खुला होगा एक आवेदन पत्र देकर अपना विकल्प बताना होगा । यदि इस प्रकार के जमाकर्ता द्वारा इस प्रकार का कोई खाता निर्दिष्ट न किया गया होगा, तो अदायगी का लाभ दस रुपये के मूल्यवर्ग के उस सबसे पहले खाते के सम्बन्ध में यदि कोई हो, दिया जाएगा जो अदायगी के योग्य हो गया होगा और यदि दस रुपये के मूल्य का ऐसा कोई खाता नहीं होगा, तो 5 रुपये के मूल्यवर्ग के उस सबसे पहले खाते के सम्बन्ध में यह लाभ दिया जायगा, जो अदायगी के योग्य होगा ।

(iii) यथास्थिति जमाकर्ता अथवा उत्तरजीवी जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर यथास्थिति उसका विधिक वारिस या उसके द्वारा नामित व्यक्ति, उस डाकघर को जिसमें खाता दर्ज हो इस प्रकार के जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने के बाद एक वर्ष के अन्दर अन्दर इन नियमों से अनुबद्ध फार्म पी० एस० पी०-1 में तीन प्रतियों में आवेदनपत्र देगा । मृत्यु-प्रमाण पत्र अथवा उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि दावे के साथ

भेजी जानी चाहिए। इस प्रकार के दावे को मुख्य पोस्टमास्टर द्वारा, राष्ट्रीय बचत आयुक्त, नागपुर के कार्यालय से इस आशय का सत्यापन प्राप्त किए जाने के बाद मंजूर कर लिया जायगा कि जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर, डाकघर बचत बैंक (बढ़ने वाली सावधि जमा) नियमावली, 1959 के अन्तर्गत खोले गये बढ़ने वाले सावधि जमा खाते सहित किसी भी अन्य खाते के सम्बन्ध में पूर्ण परिपक्वता मूल्य का भुगतान लेने का लाभ इससे पहले मृतक जमाकर्ता के विधिक वारिस या नामित व्यक्ति ने प्राप्त नहीं किया है।

(ग) नियम 14 के बाद निम्नलिखित फार्म जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

फार्म पी० एस० पी० —1

तीन प्रतियों में भरने के लिए

———————————

सेवा में,

पोस्ट मास्टर ,

———————————

———————————

विषय :—संरक्षित बचत योजना के अन्तर्गत दावा।

महोदय,

———————————डाकघर की पुस्तकों में ———————————— के नाम मौजूद 5 वर्षीय बढ़ने वाले सावधि जमा/डाकघर आवर्ती जमा खाता संख्या ———————————— के दावे के निपटारे के सम्बन्ध में, मैं/हम एतद्द्वारा मृतक का/के———————————— (पूरा सम्बन्ध बताए), जिसकी मृत्यु दिनाक ———————————— को ———————————— ————————में (स्थान का नाम जहां मृत्यु हुई थी) हो गई थी, संरक्षित बचत योजना के अन्तर्गत खाते के पूर्ण परिपक्व मूल्य का दावा करता हूं / करते हैं। दावे के समर्थन में, निम्नलिखित कागज-पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं:—

(1) ———————————————————————द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण-पत्र

*(ii) संख्या ———————— दिनांक ————————
के अन्तर्गत ————————————————द्वारा प्रदत्त
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

*(iii) संख्या ————————दिनांक ————————के अन्तर्गत
———————— प्रदत्त प्रोबेट

*(iv) संख्या ————————दिनांक ————————के
अन्तर्गत ————————————द्वारा प्रदत्त मृतक की सपदा
से सम्बन्धित प्रशासन-पत्र ।

** (v) आपके अभिलेख में दर्ज नामांकन के अनुसार मैं/हम मृतक का । के नामित
व्यक्ति हूं हैं ।

———————

मैं / हम प्रमाणित करता हूं / करते हैं कि मैंने/ हमने सरक्षित बचत योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त मृतक के नाम मौजूद किसी अन्य बढ़ने वाले सावधि जमा अथवा आवर्ती जमा खाते के बारे में कोई दावा नहीं किया है और न मैं / हम भविष्य में ऐसा करूंगा / करेंगे ।

* जो लागू न होना हो उसे काट दीजिए) ।

** नामित व्यक्तियों के मामले में मद (ii), (iii) और (iv) आवश्यक नहीं हैं ।

मृतक खाताधारी का ब्यौरा

(i) पूरा नाम ——————————————————

(ii) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ——————————————————

(iii) अन्तिम पता ——————————————————

——————————————————

——————————————————

निकट सम्बन्धियों का ब्यौरा

क्रम संख्या	नाम	आयु	सम्बन्ध	पता
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार मृतक के निम्नलिखित अन्य बढ़ने वाले सावधि जमा / आवर्ती जमा खाते थे जिन पर मैं/हम संरक्षित बचत योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने का दावा नहीं करूंगा/करेंगे और केवल बढ़ने वाले सावधि जमा/आवर्ती जमा खातों के नियमों के अन्तर्गत देय आनुपातिक रकमों का ही दावा करूंगा/करेंगे ।

क्रम सं०	खाता सं०	बढ़ने वाले सावधि जमा/ आवर्ती जमा खाते की किस्म	डाकघर का नाम जहां खाता है	खाते खोलने की तारीख	मूल्य वर्ग	नामित व्यक्ति का नाम यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						

भवदीय,

दावेदार/दावेदारों के हस्ताक्षर

पता:— (1) _____

(ii) _____

दो साक्षियों द्वारा प्रमाणपत्र

हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि जिस व्यक्ति ने आवेदन-किया है और भुगतान के लिए आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं वह भुगतान का वास्तविक दावेदार है और यह वही व्यक्ति है जिसके पक्ष में न्यायालय ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र/ विल का प्रोबेट /- प्रशासन-पत्र प्रदान किया है ।

1. हस्ताक्षर और पता————

———————————

———————————

2. हस्ताक्षर और पता ————

———————————

———————————

पोस्टमास्टर द्वारा भरा जाए

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणों की जांच, डाक अभिलेखों से मिला कर, ली गई है और मैं सन्तुष्ट हूं कि दावेदार मृतक का / के नामित व्यक्ति / वारिस है / हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि खाता खोलने के समय खाताधारी की आयु, जैसा कि उसके आवेदन पत्र/ घोषणा पत्र में दी गई है, ————————————वर्ष की थी ।

केन्द्रीय पंजीकरण कार्यालय, राष्ट्रीय बचत आयुक्त का कार्यालय पोस्ट बाक्स नं० 96, नागपुर को दो प्रतियां यह जांच करने के लिए भेजी जा रही हैं कि मृतक के नाम से संरक्षित बचत योजना के अन्तर्गत पहले से तो कोई दावा पंजीकृत नहीं किया गया है ।

डाक घर की मोहर

पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर

केन्द्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा भरा जाए

*प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त बढ़ने वाले सावधि जमा / आवर्ती जमा खाते के धारक श्री ————————————————————(मृतक) के सम्बन्ध में, जिनकी मृत्यु दिनांक ———————— को ————————में हुई थी इस कार्यालय में पहले से कोई दावा पंजीकृत नहीं किया गया है । यदि दावा अन्यथा ठीक हो तो उसे ग्रहण कर लिया जाए ।

पंजीकरण संख्या ————————————

*प्रमाणित किया जाता है कि श्री ——————————(मृतक) के नाम मौजूद बढ़ने वाले सावधि जमा/ आवर्ती जमा खाते के सम्बन्ध में पहले से ही एक दावा पंजीकृत किया जा चुका है ।

विवरण नीचे दिया गया है :—

बढ़ने वाला सावधि जमा / आवर्ती जमा खाता संख्या ——————————

जिसका मूल्य-वर्ग रु० —————————— है और ——————जो

डाकघर ———————————————————— में

दिनांक —————————— को खोला गया था ।

दावेदार / दावेदारों का नाम ——————————

—————————————— (नामित / वारिस)

पंजीकरण संख्या ———————— दिनांक ————————

*जो लागू न होता हो उसे काट दें ।

केन्द्रीय पंजीकरण कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

केन्द्रीय पंजीकरण कार्यालय की मोहर

सेवामें

पोस्टमास्टर

बी० मैत्रेयन्,
संयुक्त सचिव, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972